पत्रांक–ए/एस0आर0ई0–(49)–04/12–..........................

बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष)

प्रेषक

कमल नारायण सिंह
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार

पटना, दिनांक–....................2014

विषयः– बिहार में भारत सरकार की प्रतिपूर्ति आधारित एस0आर0ई0 योजनान्तर्गत जिलों में आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के पीड़ित सिविलियन व्यक्तियों/पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह–अनुदान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प 4419 दिनांक–21.05.2013 में वर्णित प्रावधान के अनुसार "एस0आर0ई0" योजनान्तर्गत आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा की घटनाओं के कारण मृत्यु/ स्थायी अशक्तता (50% और उससे अधिक) के मामले में उनके निकटतम संबंधी को ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे। "एस0आर0ई0" जिलों के लिए इस मुआवजा की राशि सुरक्षा संबंधी व्यय मद से ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये) एवं केन्द्रीय योजना मद से ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये) अर्थात "एस0आर0ई0" जिलों के लिए यह राशि ₹4.00 लाख (चार लाख रुपये) तथा अन्य क्षेत्रों के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये) तक सीमित होगी।

कुछ जिलों से यह पृच्छा हो रही है कि इस योजना के अंतर्गत आतंकवादी/साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ित पुलिस कर्मियों/उनके परिजनों को मुआवजा दिया जा सकता है अथवा नहीं ?

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधानित राशि आतंकवादी/साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ित केवल सिविलियन व्यक्तियों/पीड़ितों के परिवारों को ही अनुमान्य है न कि ऐसे मामलों में पीड़ित पुलिस कर्मियों या उनके परिजनों को।

विश्वासभाजन
ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–....................................../ पटना, दिनांक–..........................2014

प्रतिलिपि–पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–....3342..../ पटना, दिनांक–....15/4/...2014

प्रतिलिपि– आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/4/14
सरकार के विशेष सचिव

15/4/14